न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा, (RJS–DJ CADRE)**

निर्णय दिनांकः– 12.03.2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 21/2018

सी.आई.एस. नंबरः– 22/2018

सी.एन.आर. नंबरः– RJBR050000522018

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 415/2017, **पुलिस थानाः– सदर बारां**, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. राजेन्द्र पुत्र स्व. देवकरण, उम्र–32 साल (वर्तमान उम्र–40 साल), निवासी–चौकी भैंरूपुरा, पुलिस थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.) 2. सावित्री बाई पत्नी राजेन्द्र, उम्र–30 साल (वर्तमान उम्र–38 साल), निवासी–चौकी भैंरूपुरा, पुलिस थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री महावीर जैन

B

अपराध की दिनांक	05.12.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	05.12.2017
आरोप पत्र की दिनांक	01.02.2018
आरोपों की विरचना की दिनांक	24.09.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	24.09.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	12.03.2026
निर्णय की दिनांक	12.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	निल

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	राजेन्द्र	14.12.2017	14.12.2017	341, 323, 504, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	निल
02	सावित्री बाई	14.12.2017	14.12.2017	341, 323, 504, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	निल

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P.W. 01	रतनबाई	परिवादी/आहत साक्षी
P.W.02	देवीलाल	आहत/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.03	ममता	आहत/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.04	नारायण	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.05	डॉ. ओमप्रकाश मालव	चिकित्सकीय साक्षी
P.W.06	राधेश्याम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.07	रोहित कुमार	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	पर्चा बयान
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी.03/PW.05	चोट प्रतिवेदन रतन बाई
04	प्रदर्श पी.04/PW.05	चोट प्रतिवेदन ममता
05	प्रदर्श पी.05/PW.06	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
06	प्रदर्श पी.06/PW.07	फर्द गिरफ्तारी राजेन्द्र
07	प्रदर्श पी.07/PW.07	फर्द गिरफ्तारी सावित्री बाई
08	प्रदर्श पी.08/PW.07	जाति प्रमाण पत्र परिवादिया

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.12.2017 को परिवादिया रतन बाई द्वारा जैर इलाज भर्ती राजकीय चिकित्सालय बारां में श्री कमलेश कुमार ए.एस.आई. पुलिस थाना सदर बारां को पर्चा बयान इस आशय के दिये गये कि वह ग्राम चौकी भैंरूपुरा की रहने वाली है। आज सवेरे करीब 08 बजे की बात है। वह उसके मकान से उसकी रेवड़ी पर जा रही थी। रेवड़ी पर पड़े झाड़ों को वह हटाने लगी तो हमारे गांव का राजू आया, जिसने आते ही उसके साथ गाली–गलौंच करने लगा कि यह झाड़ क्यों हटाये। इतने में वहां से अपने घर पर जाने लगी तो राजू ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसके लकड़ी से मारपीट करने लग गया। लकड़ी की उसके पीछे पीठ पर लगी। लड़ाई–झगड़े की आवाज सुन कर उसका पति देवीलाल आया, जिसने बीच–बचाव किया। उसके बाद लड़ाई–झगड़े की आवाज सुन कर उसकी बच्ची ममता आयी तो उसके साथ भी राजू की पत्नी ने उसकी बच्ची को आड़े फिर कर मारी जो उसकी बच्ची के सामने सिर पर लगी। उसके गांव के नारायण जी ने यह घटना देखी है। उसके बाद में वह उसकी बच्ची ममता को उसके पति देवीलाल बारां अस्पताल लेकर आये,.....इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **415/2017 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 01.02.2018 को अभियुक्तगण राजेन्द्र व सावित्री बाई के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा **341, 323, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाना कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

5– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया रतन बाई को रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया एवं आहतगण रतन बाई व ममता के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

(ii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया को लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौंच कर अपमानित किया?

(iii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया को अनुसूचित जाति/जनजाति की सदस्या होना जानते हुए अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(iv) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्व किए जाने का निवेदन किया।

8– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में गवाहों के बयानों में अत्यधिक अंतर और विरोधाभास है। किसी आहत के कोई जाहिरा चोट कारित नहीं हुई है। परिवादी पक्ष रेवड़ी की जगह पर जबरन कब्जा करना चाहता है, इस कारण यह झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ जाति के आधार पर मारपीट की हो। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

9– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10– प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड.01 रतनबाई जो स्वयं परिवादिया है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह उसके मकान से रेवडी पर कचरा फेकने जा रही थी। **वह रेवडी पर झाड़ों को हटाने लगी तो उसी समय वहां पर राजू आया और गाली गलौच करने लगा और कहा कि चमारी, डेडनी तूने झाड**

क्यों हटाया। वहां पर उसकी पत्नि सावित्री बाई भी मौके पर आ गयी और उसके साथ मारपीट करने लग गयी। उसकी आवाज सुनकर उसकी बेटी ममता आयी तो उसके साथ भी सावित्री बाई ने मारपीट की। ममता के सिर में चोट आयी थी तथा उसके सिर में व पसलियों में चोटे आयी थी। उसका पति देवीलाल व उसका बेटा भी वहां आया तो राजू ने उनके साथ भी मारपीट की। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि राजू जब आया तब उसके हाथ में कुछ नहीं हो, **अजखुद कहा कि जब राजू आया तो उसके हाथ में गण्डासी थी।** यह कहना गलत है कि उसने पर्चा बयान में चमारिया, डेडया गाली–गलौंच की बात नहीं लिखायी हो, अजखुद कहा कि उसने यह बात लिखायी थी। यह कहना गलत है कि इस रेवड़ी पर ही सभी मोहल्ले के लोग कचरा डालते हों, अजखुद कहा कि सबकी रेवड़ी अलग–अलग हैं। यह कहना गलत है कि रेवड़ी पर झाड़ लगा कर हम कब्जा करना चाह रहे हैं, अज खुद कहा कि हम तो सामान रख रहे थे और झाड़ हटा रहे थे, इस पर उन्होंने गाली–गलौंच की। **यह कहना गलत है कि पहले भी हमारा झगड़ा रेवड़ी के कारण हुआ हो, अजखुद कहा कि खेत के कारण हुआ था।**

11– पी.ड. 02 देवीलाल जो आहता रतनबाई का पति है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसकी रेवडी पर झाड़ रखे हुए थे। **राजू गुर्जर मुल्जिम ने झाड़ हटाये। उसने उसको झाड़ हटाने से मना किया तो वह उसके साथ गण्डासी की मारने लगा तो उसने उसकी बाथ भर ली। उसकी पत्नि व बच्ची भी घर से आयी तो राजू की पत्नि मुल्जिमा ने उसकी पत्नि रतनबाई व बेटी ममता के साथ मारपीट की।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि बाड़े के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है, अजखुद कहा कि रुकी हुई जमीन है। बाड़ा राजू के मकान के पीछे के हिस्से में है। यह कहना सही है कि झाड़ तो उसकी पत्नी हटा रही थी। **ऊपर बयानों में राजू द्वारा झाड़ हटाने की बात सही बतायी है, क्योंकि उसका बाड़ा और हमारा बाड़ा पास–पास हैं।** यह कहना गलत है कि हम राजू के बाड़े में जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हों, अजखुद कहा कि राजू और हमारे बाड़े के बीच में रोड़ है और हमारी व उसकी रेवड़ी अलग–अलग हैं।

12– पी.ड. 03 ममता जो प्रकरण में आहता है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके माता–पिता ने राजेन्द्र व सावित्री से हमारे रेवड़ी से झाड़ हटाने की मना की तो इसी बात को लेकर राजेन्द्र व सावित्री ने उसके माता–पिता के साथ मारपीट की। वह घर से लड़ाई–झगड़े की आवाज सुनकर रेवड़ी पर गई तो वहां उसके माता–पिता के साथ मारपीट हो रही थी, **उसने उनका बीच–बचाव कराया तो सावित्री ने उसके हाथ की लकड़ी से उसके सिर पर मारी, जिससे उसके खून निकल आया।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि रेवड़ी के झाड़ उसकी मां स्यं हटा रही हो, बल्कि राजू सावित्री हटा रहे

थे। यह कहना गलत है कि कथित रेवड़ी के झाड़ उसकी मां ही हटा रही हो और हम उस पर कब्जा करना चाह रहे हों।

13– पी.ड. 04 नारायण जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह उसके घर पर ही था। उसके बाड़े के पास में ही लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी तो उसकी घरवाली ने कहा कि किसी में झगड़ा हो रहा है। तो घर से भागकर वह मौके पर गया। मौके पर गया तो देवीलाल और राजू गूर्जर एक दूसरे से बाथम–बूथा हो रहे थे। उक्त गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपनी अंगूठा निशानी होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **रतनबाई उसके साले की पत्नी है। यह सही है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई केवल देवीलाल और राजेन्द्र उर्फ राजू बाथम–बूथा और झामक झूमा हो रहे थे।**

14– पी.ड. 05 डॉ. ओमप्रकाश मालव ने आहता रतन बाई की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.03 बनाना बताया है, जिसमें अंकित दोनों चोटें पीठ व सिर पर दर्द की शिकायत होना बताया है। उसी दिन आहता ममता के शरीर पर आयी चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.04 बनाना, जिसमें अंकित दोनों चोटें क्रमशः सिर व चेहरे पर दर्द की शिकायत होना और कोई जाहिरा चोट नहीं होने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त चोटें स्वकारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

15– पी.ड. 06 राधेश्याम घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर पुलिस बयान प्रदर्श पी.05 का ए से बी भाग गलत होना बताया है,

16– पी.ड. 07 रोहित कुमार जो प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, ने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 बनाना, गवाहान के बयान लेखबद्ध करना, परिवादी राजू का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि बयान कार्यालय में लिए थे। पर्चा बयान प्राप्त होने के बाद गवाहों के बयान लिखे हैं।

17– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i) व (ii)–</u>

18– सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है।

जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया रतन बाई का सदोष अवरोध कारित किया तथा उक्त रतन बाई व उसकी पुत्री ममता के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की तथा उन्हें गाली–गलौंच कर साशय अपमानित किया। इस संबंध में परिवादिया रतन बाई के पर्चा बयान प्रदर्श पी.01 के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। परिवादिया ने अपने पर्चा बयान में जब वह अपनी रेवड़ी से झाड़ों को हटा रही थी तो अभियुक्त राजू द्वारा वहां आकर उसके साथ गाली–गलौंच करना और जब वह अपने घर जाने लगी तो राजू द्वारा उसे रास्ते में रोक कर लकड़ी से मारपीट करना बताया है। उक्त परिवादिया ने यह भी कथन किया है कि उसकी बच्ची ममता आयी तो उसके साथ राजू की पत्नी ने मारपीट की।

19– उक्त परिवादिया पी.ड. 01 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुई है, जिसने अपने बयानों में अभियुक्त राजू द्वारा गाली–गलौंच करना बताया है और उसकी पत्नी सावित्री द्वारा स्वयं के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार जहां परिवादिया अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी.01 में विशिष्ट रूप से अभियुक्त राजू द्वारा रास्ते में रोक कर उसके स्वयं के साथ लकड़ी से मारपीट किये जाने का कथन किया है, वहीं यह गवाह न्यायालय में दिये गये बयानों में स्वयं के साथ सावित्री द्वारा मारपीट करने का कथन कर रही है जो परस्पर विरोधाभासी है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि पी.ड. 01 रतन बाई ने अपने पर्चा बयान और न्यायालय में दिये गये बयानों में स्वयं द्वारा रेवड़ी पर से झाड़ हटाने का कथन किया है जबकि परिवादिया के पति पी.ड. 02 देवीलाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि राजू गुर्जर मुल्जिम ने झाड़ हटाये थे और जब उसने झाड़ हटाने से मना किया तो वह उसके साथ गण्डासी से मारपीट करने लगा। यह गवाह बाद में अपनी पत्नी व बच्ची का घर से आना बता रहा है जबकि परिवादिया पी.ड. 01 रतनबाई प्रारंभ में स्वयं द्वारा जाकर रेवड़ी पर से झाड़ हटाने का कथन कर रही है और अपने पति का बाद में आना बता रही है। इस प्रकार परिवादिया और उसके पति के कथनों में घटना कारित होने के संबंध में अत्यधिक अंतर है।

20– पी.ड. 03 ममता भी प्रकरण में आहता है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि सावित्री ने उसके हाथ की लकड़ी से उसके सिर पर मारी, जिससे उसके खून निकल आया। इस प्रकार जहां यह गवाह स्वयं के सिर पर खून निकलना बता रही है तो अवश्य ही उसके कोई जाहिरा चोट आती, लेकिन मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 05 डॉ. ओमप्रकाश मालव ने आहत ममता के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.04 में वर्णित दोनों चोटें क्रमशः सिर पर और चेहरे पर दर्द की शिकायत होना बताया है और कोई जाहिरा चोट नहीं होने का कथन किया है। इस

प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से उक्त आहता पी.ड. 03 ममता के कथनों की पुष्टि नहीं हो रही है। पी.ड. 05 डॉ. ओमप्रकाश मालव ने आहत रतन बाई के शरीर पर भी कोई जाहिरा चोट नहीं होना बताया है। जहां पी.ड. 01 रतन बाई ने अपने पर्चा बयान में अभियुक्त राजू द्वारा स्वयं के साथ लकड़ी से मारपीट करना बताया है और न्यायालय में दिये गये बयानों में भी उक्त राजू के पास गण्डासी होने का कथन किया है तो उस स्थिति में आहता रतन बाई के भी कोई जाहिरा चोट आती, लेकिन चिकित्सकीय साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है।

21– परिवादिया ने अपने पर्चा बयान में घटना के समय नारायण द्वारा घटना देखना बताया है। प्रथम तो उक्त गवाह पी.ड. 04 नारायण परिवादिया रतन बाई का रिश्तेदार होकर हितबद्ध गवाह होना प्रकट हो रहा है। इसके अलावा उक्त नारायण पी.ड. 04 ने अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया है कि वह मौके पर गया तो देवीलाल और राजू गुर्जर एक–दूसरे के साथ बाथम–बूथ हो रहे थे। इस घटना से पहले दोनों पक्षों की औरतों में मारपीट हो गयी हो तो उसने नहीं देखी। इस प्रकार यह गवाह भी अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं कर रहा है कि अभियुक्तगण राजू और सावित्री द्वारा परिवादिया रतन बाई या ममता के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट की हो। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में पुनः स्पष्ट किया है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई। इस प्रकार प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 04 नारायण के कथनों से भी यह तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा आहतगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट की हो। इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 06 राधेश्याम पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने घटना की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है।

22– पी.ड. 01 रतन बाई अपनी जिरह में रेवड़ी स्वयं की होना बता रही है और यह भी कथन कर रही है कि खेत के कारण उनके बीच पहले भी झगड़ा हुआ था। पी.ड. 02 देवीलाल ने अपनी जिरह में इसके विपरीत कथन करते हुए बताया है कि बाड़ा के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। अजखुद कहा कि रोकी हुई जमीन है। इस गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि राजू द्वारा झाड़ हटाने की बात सही बतायी है, क्योंकि उसका बाड़ा और हमारा बाड़ा पास–पास है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों के बयानों से यह प्रकट हो रहा है कि विवादित स्थान अर्थात् रेवड़ी वाले बाड़े का पी.ड. 02 देवीलाल के पास स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है और वह रोकी हुई जमीन है। अभियुक्त पक्ष और परिवादी पक्ष के बाड़े पास–पास होना और इस संबंध में ही दोनों पक्षों के बीच विवाद होना दर्शित हो रहा है। जहां ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार आहतगण को कोई जाहिरा चोटें नहीं आयी हैं। पी.ड. 05 डॉ. ओमप्रकाश मालव ने उक्त चोटें स्वकारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया है। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथनों से मारपीट के तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में परिवादिया व उसके पति व पुत्री का बढ़ा चढ़ा कर ही कथन किया जाना

प्रकट हो रहा है। दोनों पक्षों में पूर्व में खेत के संबंध में विवाद होना और इस प्रकार रंजिश होना भी साक्ष्य से प्रकट हो रहा है।

23– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार जहां दोनों पक्षों में बाड़े की जगह को लेकर लड़ाई थी और पूर्व से भी उनका खेत संबंधी विवाद चला आ रहा था। परिवादिया व अन्य आहता पी.ड. 03 ममता के कथनों में अत्यधिक अंतर है। उक्त गवाहों के कथनों की चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं हो रही है। स्वतंत्र गवाह पी.ड. 06 राधेश्याम पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 04 नारायण हितबद्ध गवाह है, लेकिन इस गवाह ने भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण से कोई लकड़ी या अन्य हथियार बरामद भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया रतन बाई को रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया हो तथा आहता रतन बाई व उसकी पुत्री ममता के साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की हों। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

24– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में उपरोक्त विवेचन के अनुसार जहां घटना कारित होना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। दोनों पक्षों में बाड़े के विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही है और परिवादी पक्ष द्वारा बढाचढ़ा कर घटना बतायी गयी है तो यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को साशय अपमानित करने के लिए गाली–गलौंच की हो। पी.ड. 04 नारायण ने अपने बयानों में परिवादिया के पति देवीलाल और अभियुक्त राजू गुर्जर का एक–दूसरे के साथ बाथम–बूथा होना बताया है। पी.ड. 02 देवीलाल ने अपने बयानों में अभियुक्त राजू द्वारा झाड़ हटाने पर स्वयं द्वारा उसे मना करना बताया है जबकि पी.ड. 01 रतन बाई स्वयं द्वारा झाड़ हटाना बता रही है तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा ही विवाद की शुरूआत की गयी हो।

25– इसके अतिरिक्त पी.ड. 02 देवीलाल ने अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त राजू द्वारा उसके साथ कोई गाली–गलौंच की हो और न ही इस गवाह ने अभियुक्त सावित्री बाई द्वारा गाली–गलौंच किये जाने का कोई कथन किया है। पी.ड. 03 ममता के कथनों से भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है। अन्य गवाह पी.ड. 04 नारायण तथा पी.ड. 06 राधेश्याम के कथनों से भी अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौंच किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है। स्वयं परिवादिया पी.ड. 01 रतन बाई के पर्चा बयान और न्यायालय में दिये गये बयानों में परस्पर अंतर है। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित

नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को साशय अपमानित करने के लिए गाली–गलौंच की गयी है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (iii)–</u>

26– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए उसके विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया हो। इस संबंध में ऊपर किये गये साक्ष्य के विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध एक सापेक्षिक अपराध है। जहां अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मूल अपराध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित नहीं हुआ है तो अभियुक्तगण को धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

27– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) (ii) व (iii) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ राजू व सावित्री बाई को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 341, 323/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>–आदेश–</u>

28– अतः अभियुक्तगण **1. राजेन्द्र पुत्र स्व. देवकरण, उम्र–32 साल (वर्तमान उम्र–40 साल), निवासी–चौकी भैंरूपुरा, पुलिस थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.), 2. सावित्री बाई पत्नी राजेन्द्र, उम्र–30 साल (वर्तमान उम्र–38 साल), निवासी–चौकी भैंरूपुरा, पुलिस थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा**

341, 323/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

29– हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी को धारा 357 ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

30– इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील विधि अनुसार नष्ट किया जावें और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाए।

31– अभियुक्तगण की ओर से धारा 437 ए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

32– निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

SUKHVEER LODHI
Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by SUKHVEER LODHI